HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13382/2024

Suresh S/o Ramkhiladi, Aged About 45 Years, R/o Koyala Police Station Badi Sadar District Dholpur. (At Present Confined In Judicial Custody In District Jail, Dholpur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sachin Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, Dy. GA

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

04/12/2024

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– बाड़ी सदर जिला– धौलपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 282/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.09.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान लोकअभियोजक द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है, मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार करने योग्य समझता हूं अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश पुत्र रामखिलाडी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को संबंधित थानाधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराए तथा संबंधित थानाधिकारी प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज करेगा व प्रार्थी/अभियुक्त के अनुपस्थित होने पर सूचना विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति के आधार पर संबंधित लोक अभियोजक प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

(PRAVEER BHATNAGAR), J

RAMESHWAR PRASHAD /193